

CNR NO.UPBU01-011281-2019

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), न्याय कक्ष
संख्या-14, बुलन्दशहर।

विशेष वाद संख्या-3331 सन् 2019

सरकार बनाम रामप्रताप

अन्तर्गत धारा-138बी विद्युत अधिनिय

थाना-अरनियां, जिला बुलन्दशहर।

मु0अ0सं0 22 / 18

20.02.2023:

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानती वारन्ट पर थाना अरनियां से यह आख्या प्राप्त हुयी है कि अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। उक्त आख्या के साथ अभियुक्त की मृत्यु के सम्बन्ध में मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार अभियुक्त रामप्रताप की मृत्यु दिनांक 26.09.20 को हो चुकी थी। सी0डब्लू0 का0 हरिओम, पैरोकार द्वारा उपरोक्त अभियुक्त की मृत्यु होने की पुष्टि अपने सशपथ बयानों में की गयी है तथा थाने की आख्या, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति को प्रमाणित किया गया है। चूंकि अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। यदि अभियुक्त पर कोई धनराशि बकाया है तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु विद्युत विभाग स्वतन्त्र रहेगा।

(संगीता शर्मा)

अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)

न्याय कक्ष संख्या-14, बुलन्दशहर।

J.O Code .UP 6111

दीपक गुप्ता,आशुलिपिक